

## Online Layout Permission Guideline

### ऑनलाइन विकास अनुज्ञा के लिए गाइडलाइन

विकास अनुज्ञा के लिए आवेदन करने के लिए गाइडलाइन निम्नलिखित है | ( Following are the steps to apply for land use certificate)

1. विकास अनुज्ञा के आवेदन के लिए संचालनालय के वेबसाइट [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) पर जाए, एवं E-SERVICES पर क्लिक करें।

Click here



The screenshot shows the website of the Directorate of Town and Country Planning, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. The URL in the browser is [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in). The website features a navigation menu with the following items: HOME, DISTRICT OFFICES, ADMINISTRATION, PLANS, E-SERVICES, ACT/RULES, LOK SEVA, RTI, ABOUT US, and FEEDBACK. The 'E-SERVICES' menu item is circled in red, and a red arrow points to it from the text 'Click here'. The main content area includes a large image of the Sanchi Stupa, a 'MAP' section showing a map of Madhya Pradesh, and a 'LATEST UPDATES' section with a link to 'वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में स्वीकृत योजना में कार्यालय फर्नीचर का क्रय मद में फर्नीचर क्रय करने की अनुमति प्रदाय करने बाबत (29/09/2014)'. The footer of the website contains social media icons for Twitter, Facebook, and NIC email, along with the text 'संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश' and a disclaimer in Hindi.

2. E-SERVICES पर क्लिक करते ही निम्न स्क्रीन आएगा। इसके बाद **emptownplan** पर क्लिक करे।

**Click here**

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.mptownplan.gov.in/e-services.html](http://www.mptownplan.gov.in/e-services.html). The page header includes the logo of the Directorate of Town and Country Planning, Government of Madhya Pradesh, Bhopal, and a navigation menu with items: HOME, DISTRICT OFFICES, ADMINISTRATION, PLANS, E-SERVICES, ACT/RULES, LOK SEVA, RTI, ABOUT US, and FEEDBACK. The 'E-SERVICES' menu item is highlighted in green. Below the navigation menu, there is a sidebar with a 'मुख्य पृष्ठ' (Main Page) link and a central area with a green button labeled 'emptownplan'. A red circle highlights this button, and a red arrow points from a box containing the text 'Click here' to the button. To the right of the main content, there is a 'MAP' section with a map of Madhya Pradesh and a 'LATEST UPDATES' section with a link to a news item dated 29/01/2013. The footer of the page contains contact information for V.P. Kulshreshtha, Joint Director, Town & Country Planning, including an email address and a mobile number. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date 11/1/2014 and time 11:10 AM.

3. E-Townplan पर क्लिक करते ही निम्न स्क्रीन आएगा। विकास अनुज्ञा के आवेदन पत्र के लिए **Online Application के Layout Permission Application Form ( Section 29/2 and Section 16 )** या **Layout Permission Application Form (Section 29/3)** पर क्लिक करे।

*Click here*

The screenshot shows the website interface for Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal. The browser address bar displays 'www.emptownplan.gov.in/#'. The main content area features a map of a town plan. Below the map, there are three columns of services:

- E-SERVICES**: Includes 'DEPARTMENT LOGIN', 'Online Applications' (circled in red), 'Layout Scrutiny', 'Print Layout Permission', 'Master Plans', 'Downloads', 'Application Statistics', and 'Cyber Trausurv (On-Line)'. The 'Online Applications' link is highlighted with a red oval.
- ALPASS**: Includes 'AUTOMATED LAYOUT PROCESS APPROVAL AND SCRUTINY SYSTEM', 'Land-Use Applications Form' (circled in red), 'Layout Permission Application Form(Section 29/1 and Section 16)' (circled in red), and 'Status'.
- APPLICATION STATUS**: Includes 'Enter File Number:', 'Submit', and 'NEWS AND EVENT'.

The 'Online Applications' link is circled in red, and a red arrow points from the 'Click here' text above to this link. The 'Land-Use Applications Form' and 'Layout Permission Application Form(Section 29/1 and Section 16)' links are also circled in red. The 'Print Layout Permission' link is circled in red and points to 'Layout Permission Applications Form section 29/3'.

धारा 29/2 और धारा 16 के लिए - **Layout Permission Application Form ( Section 29/2 and Section 16 )** पर क्लिक करे।

या

धारा 29/3 के लिए - **Layout Permission Application Form (Section 29/3)** पर क्लिक करे।

4. Layout Permission Application Form ( Section 29/2 and Section 16 ) पर क्लिक करते ही निम्न स्क्रीन आएगा।

www.emptownplan.gov.in/initPersonnelDetailAddOut.do?method=initAddOut&flag=H

**Layout Permission Application Form(Section 29/1 and Section 16)** The fields which are marked \* is mandatory.

Choose Langague For Filling Form **ENGLISH HINDI**  
(Applicant and Layout Details-आवेदक / लेआउट विवरण) :

\*Application Received From/आवेदन- जहां से प्राप्त हुआ: चुने if High Rise Permission/अगर आवेदन हाई राइज के लिए है  Please check

\*Application Type/आवेदन प्रकार: सेक्शन 29 / 1 \* Applicant Name/आवेदक का नाम: \*e-Mail/मेल:

\*Mobile/मोबाइल नंबर:  \*District/ज़िला: चुने \*Tahsil/तहसील: चुने

\*Village/गांव: चुने Consultant Name/कंसल्टेंट का नाम:  Consultant Regis. No./कंसल्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर:

Consultant Mobile/कंसल्टेंट मोबाइल:  Consultant e-Mail/कंसल्टेंट ईमेल:  \*Applicant Address with PIN Code/पता:

Permission Land Use: चुने Permission For: चुने \*Project Name/परियोजना का नाम:

\*Khasra Numbers/खसरा नंबर:  \*Total Area:  (in Square meter)\*

Check	Development Authority No	Development Authority Date	Nazul NOC No	Nazul NOC Date
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Add More और जोड़े Delete Data डिलीट करे

2:41 PM 11/1/2011

5. धारा 29/3 के लिए - **Layout Permission Application Form (Section 29/3)** पर क्लिक करते ही निम्न स्क्रीन आएगा।

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.emptownplan.gov.in/initPersonnelDetailAddOut.do?method=initAddOut&flag=H&flag1=29](http://www.emptownplan.gov.in/initPersonnelDetailAddOut.do?method=initAddOut&flag=H&flag1=29). The page title is "Layout Permission Application form under section 29/3". The form is titled "Choose Langague For Filling Form ENGLISH HINDI" and "(Applicant and Layout Details-आवेदक / लेआउट विवरण)". The form includes the following fields:

- \*Application Received From/आवेदन- जहां से प्राप्त हुआ: चुने
- If High Rise Permission/अगर आवेदन हाई राइज के लिए है  Please check
- \*Application Type/आवेदन प्रकार: सेक्शन 29/3
- \*Applicant Name/आवेदक का नाम: [Text Field]
- \*e-Mail/मेल: [Text Field]
- \*Mobile/मोबाइल नंबर: [Text Field]
- \*District/ज़िला: चुने
- \*Tahsil/तहसील: चुने
- \*Village/गांव: चुने
- Consultant Name/कंसल्टेंट का नाम: [Text Field]
- Consultant Regis. No./कंसल्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर: [Text Field]
- Consultant Mobile /कंसल्टेंट मोबाइल: [Text Field]
- Consultant e-Mail/कंसल्टेंट ईमेल: [Text Field]
- \*Applicant Address with PIN Code/पता: [Text Area]
- Permission Land Use: चुने
- Permission For: चुने
- \*Project Name/परियोजना का नाम: [Text Field]
- \*Approved Layout No./ पूर्व स्वीकृत अभिन्यास क्रमांक: [Text Field]
- \*Approved Layout Date/ पूर्व स्वीकृत अभिन्यास दिनांक: [Text Field]
- \*Khasra Numbers/खसरा नंबर: [Text Field]
- \*Total Area: [Text Field] (in Square meter)\*

Check	Development Authority No	Development Authority Date	Nazul NOC No	Nazul NOC Date
<input type="checkbox"/>	[Text Field]	[Text Field]	[Text Field]	[Text Field]


At the bottom of the form, there are buttons for "Add More और जोड़े" and "Delete Data डिलीट करें". The Windows taskbar at the bottom shows the time as 2:44 PM on 11/1/2014.

उपरोक्त स्क्रीन में सारे आवश्यक फ़िल्ड्स को भरें तथा मांगे गए **Documents** को **PDF** फॉर्मेट में अपलोड करें। ओरिजिनल **Documents** को डाक या कूरियर द्वारा सम्बंधित नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय में भेजे।

6. प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात **Save** बटन पर क्लिक करें ।

7. **Save** बटन पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन सबमिट होने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर में SMS आ जायेगा , जिसमे आपके आवेदन का कंप्यूटर जनरेटेड **File No.** दिया होगा।

**File No.**



Your application has been send to T&CP department SMS and an email has been sent to you as receipt.

Case number of your application is: **BPLLP77C**. Please note it for online tracking of application anytime.

Please do not forget to courier the required documents mentioned in this web-site as required for Layout Processing .  
Now, you need to submit the processing fee. You can submit fee manually in to department or you can use click on Submit Fee button to submit processing fee through Payment Gateway.  
Your Application will be processed after submit the fees

**Thanks**


Please click on **Print Receipt** button to take receipt

**Print Receipt**


As per your Layout Area, you have to pay: ₹ 5000/- as Layout Processing Fees

Please submit your fees on clicking [Click Here to Submit Fees](#) link.

8. उपरोक्त स्क्रीन में आपके भूमि उपयोग एवं रकबा के अनुसार , आवश्यक फीस आ जायेगा जो कि जमा करना अनिवार्य होगा । फीस जमा होने के पश्चात ही आपका आवेदन स्वीकार्य होगा। अभी फीस जमा करने कि दो प्रक्रिया है , आप बैंक चालान से जमा कर सकते हैं , या फिर वेबसाइट द्वारा भी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए उपरोक्त स्क्रीन में दिए हुए **Click here to submit fees** लिंक पर क्लिक करें , तथा निर्देशो का पालन करते हुए आपका आवश्यक फीस जमा करें।



9. उपरोक्त स्क्रीन में बटन पर क्लिक करें , क्लिक करने के पश्चात आपको आपके आवेदन, जमा फीस की प्राप्ति रसीद (Receipt) प्राप्त हो जायेगा।



## 10. आपकी प्राप्ति रसीद निचे दिए हुए फॉर्मेट में होगी |

	कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला आवक शाखा (पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति)	मोपाल (मध्यप्रदेश)	
आवेदक/प्रेषक का नाम/पता :	राज , उगबमपवअब द	दिनांक :	15/04/2014
प्रमाण - पत्र संख्या :	BPLLP270	मोबाइल :	9990490774
ईमेल :	a@a.com		
विषय :	धारा 29/1 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा जारी किये जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त किया गया है।		
कार्यालयीन संपर्क दूरभाष क्रमांक :	0755-2427092		
कृपया निम्नलिखित दस्तावेज ७ दिनों के अंदर डाक अथवा स्वम द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में जमा करें , अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है :-			
<b>भाग-1- (अधिनियम/नियम अनुसार आवश्यक)</b>			
1.1-निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नियम 14 के परिशिष्ट क-1 के अनुसार) मय पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र ।			
1.2-आवेदन शुल्क (नियम 21 (2) के अनुसार रुपये पाँच हजार प्रति हेक्टेयर या उसके अंश के लिये) ।			
1.3-अद्यतित खसरा पॉचसाला पी-11 की सत्यापित मूल प्रति ।			
1.4-भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (रजिस्ट्री) की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।			
1.5-यदि भूमि लीज की है, तो लीज डीड की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।			
1.6-खसरा अक्स मय बटांकन(प्रमाणित मूल प्रति) ।			
1.7-आवेदित भूमि का विकास योजना में भूमि उपयोग (भूमि उपयोग प्रमाण पत्र) ।			
1.8-यदि आप भूमि स्वामी से भिन्न हैं तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी की सहमति पत्र (भू स्वामी का शपथ पत्र फोटो सहित) रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटार्नी।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)			
1.9-विकास प्राधिकरण की अनापत्ति की अभिप्रमाणित प्रति ।			
1.10-नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अथवा अभिप्रमाणित प्रति।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)			
1.11-विकास के प्रस्ताव संबंधी विस्तृत रिपोर्ट।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)			
1.12-प्रश्नाधीन भूमि का निर्देशक रेखांक (की प्लान) नियम 16(3) अनुसार 1:10000 के मान से (अभिग्यास का भाग) ।			
1.13-प्रश्नाधीन भूमि का स्थल रेखांक/साईट प्लान नियम 16 (4) (क) से (द) के अनुसार (10 हेक्टेयर तक 1:1000 व उस से बड़े स्थल के लिए 1:2000 के मान से) ।			
1.14-सर्विस प्लान-			
अ.वाटर सप्लाय प्लान नियम 16 (7) अनुरूप।			
ब.सर्विस प्लान- सीवेज/सीवरेज प्लान/जल निकास नियम 16 (7) अनुरूप।			
1.15-प्रश्नाधीन भूमि के अभिग्यास रेखांक (ले आऊट प्लान) नियम 16 (5)(क) से (ज) में सम्मिलित अनुसार (1:500) के मान से यदि भूमि का आकार बड़ा हो तो 1:1000 के मान से जो आवेदक तथा सक्षम अनुज्ञापितधारी द्वारा तैयार एवं अभिप्रमाणित ।			
1.16-नियम 16 (5)(ज) के अनुरूप रेन वाटर ड्रावेस्टिंग के उपायों की व्यवस्था ।			
1.17-पार्किंग संबंधी गणना तथा पार्किंग दर्शाने वाला अभिग्यास जिसमें गाड़ियों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो ।			
1.18-मानचित्रों एवं आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों की साफ्ट कापी (सी.डी.) कार्यालय द्वारा चाहे जाने वाले फार्मेट ( मानचित्र डॉट डीडब्ल्यू.जी) ।			
<b>भाग-2- (संचालनालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार)</b>			
2.1-कालोनी का प्रकरण होने की स्थिति में कालोनाईजर लायसेंस कि प्रमाणित प्रति (आवश्यक नहीं यदि प्रकरण कालोनी सेल के माध्यम से प्राप्त हुआ हो तो) ।			
2.2-सर्विस प्लान			
अ. इलेक्ट्रिकल्स प्लान ।			
2.3-यदि भूमि स्वामी एक से अधिक है एवं एक परिवार के सदस्य नहीं है तो उनके विकास के संबंध में आपसे में किये गये रजिस्टर्ड अनुबंध की प्रति ।			
2.4-गूगल मानचित्र पर प्रश्नाधीन भूमि लाल रंग से अंकित कर ।			
2.5-भूमि स्वामी द्वारा यदि स्थल दिखाने या प्रकरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु किसी अन्य को प्राधिकृत किया जाता है तब प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान पत्र, हस्ताक्षर के साथ प्राधिकृत किये जाने संबंधी पत्र ।			
2.6-भूमि की सीमांकन रिपोर्ट (चतुर्सीमाओं सहित) तहसीलदार द्वारा सत्यापित सीमांकन मानचित्र मय फील्डबुक, पंचनामा एवं प्रतिवेदन सहित (स्पष्ट प्रति) ।			
2.7-शपथ पत्र (प्रस्तावित विकास के संबंध में भूमि के विवरण जिस पर विकास कार्य किया जाना है उसका स्पष्ट विवरण जिसमें भूमि पर पूर्व में विकास न होने, पूर्व में कोई अनुमति प्राप्त न करने, भूमि के संबंध में कोई विवाद न होने तथा विकास कार्य का क्रियान्वयन दी गई अनुमति व शर्तों के अनुरूप किये जाने जमा राशि के संबंध में यदि कोई राशि शेष देय हो तो मुग्तान की सहमति का समावेश हो) एवं परियोजना का नाम ।			
टीप :- 1-नियम का आशय मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012			
2- आवेदन से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, आपके द्वारा दिये गये मोबाइल तथा ईमेल पर दी जावेगी .			
धन्यवाद			